दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 21-08-2025

भास्कर खास ससुर ने कोरबा के फैमिली कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती, हाई कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा-

पुनर्विवाह करने तक ससुर से भरण-पोषण लेने की हकदार है विधवा बहू

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने कहा है कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 के तहत विधवा बहू पुनर्विवाह करने तक अपने ससुर से भरण-पोषण पाने की हकदार है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने यह आदेश कोरबा के फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ की गई अपील पर दिया है। हाई कोर्ट ने ससुर की अपील खारिज कर दी है।

कोरबा निवासी चंदा यादव का विवाह 2006 में गोविंद प्रसाद यादव से हुआ था। गोविंद की 2014 में सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद ससुराल पक्ष से विवाद होने पर वह बच्चों के साथ अलग रहने लगी। चंदा ने ससुर तुलाराम यादव से हर माह 20 हजार रुपए भरण-पोषण की मांग करते हुए कोरबा के फैमिली कोर्ट में मामला प्रस्तुत किया था। फैमिली कोर्ट ने आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 6 दिसंबर 2022 को आदेश दिया कि ससुर अपनी बहू को हर माह 2500 रुपए माह भरण-पोषण दे। यह आदेश बहू के पुनर्विवाह करने तक प्रभावी रहेगा।

ससुर ने कहा- पेंशन पर आश्रित, सीमित आय

ससुर ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, दलील दी कि वह पेंशनभोगी है। उसकी आय सीमित है। बहू खुद भी नौकरी कर सकती है। उसने बहू पर अवैध संबंध के आरोप भी लगाए। दूसरी ओर बहू के वकील ने कहा कि उसके पास आय का कोई जरिया नहीं है और बच्चों की जिम्मेदारी भी उस पर है।

हाई कोर्ट ने कहा- बहू के पास नौकरी न संपत्ति

हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों के आधार पर कहा कि ससुर तुलाराम यादव को 13 हजार रुपए पेंशन मिलती है और परिवार की जमीन में भी हिस्सा है। वहीं, बहू के पास न नौकरी है, न संपत्ति से कोई हिस्सा मिला है। इसलिए वह ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है।

विधवा बहू के लिए सुरक्षा कवच है प्रावधान

हिंदू दायित्व और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 विशेष रूप से विधवा बहू के भरण-पोषण से संबंधित है। इस धारा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद पत्नी अपनी आय या संपत्ति से खुद और बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ हो, तो उसे अपने ससुर से भरण-पोषण का अधिकार है। हालांकि यह अधिकार सशर्त है। सबसे पहले विधवा बहू का भरण-पोषण उसके पति की संपत्ति से होना चाहिए। यदि पति की संपत्ति न हो या अपर्याप्त हो, तब वह अपने माता-पिता, अपने बच्चों और उनकी संपत्ति से दावा कर सकती है। ससुर पर दायित्व तभी लागू होगा जब उसके पास ऐसी संपत्ति हो जिसमें से बहू को कोई हिस्सा न मिला हो।